न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 30/2024

अपीलार्थी

श्रीमती शांतिदेवी पुत्री मालाजी पत्नी राजारामजी, जाति–कलबी, निवासी–झाडोली वीर, तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला सिरोही
2. मफी पुत्री मालाजी, जाति–कलबी, निवासी–झाडोली वीर, तहसील–शिवगंज
3. मीरा पुत्री मालाजी, जाति–कलबी, निवासी–झाडोली वीर, तहसील– शिवगंज
4. सूकी पुत्री मालाजी, जाति–कलबी, निवासी–झाडोली वीर, तहसील– शिवगंज
5. सदणा पुत्री मालाजी, जाति–कलबी, निवासी–झाडोली वीर, तहसील–शिवगंज

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रवीण सिंह(सुमेरपुर), प्रत्यर्थी संख्याः 2 से 5 के अधिवक्ता अनुपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांक 23 जुलाई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील, नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम झाडोली वीर, पटवार हल्का झाडोली वीर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 926 दिनांक 22–5–2000 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) अपीलार्थी की अपील व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि अपील में नियत सुनवाई तिथि 23–5–2025 को प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण सिंह (सुमेरपुर) उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की ओर से अपील का जवाब मय वकालतनामा के प्रस्तुत किया। उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि कि ग्राम झाडोली वीर, पटवार क्षेत्र झाडोली वीर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांडानी, तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही में खसरा नम्बर 441 रकबा 3–6988 हैक्टर किस्म ब 2 भूमि आई हुई स्थित हैं। उपरोक्त खातेदारी भूमि मुझ अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के पिता माला पुत्र भावाजी के कब्जे काश्त व खातेदारी स्वामित्व की रही हैं। मालाजी की मृत्यु दिनांक 10–01–1999 को हो चुकी हैं तथा स्वर्गीय मालजी के वारिसान एवं उत्तराधिकारी, अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त भी अपीलार्थी व प्रत्यर्थी 2 से 5 का आज भी हैं, लेकिन श्री माला पुत्र भावाजी की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर जरिये फौतेदगी नामान्तकरण में अपीलार्थी का नाम वारिसान के रूप से दर्ज नही किया तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 व बेनामी पवनी (जिस नाम से मालाजी की कोई सन्तान ही नही है) को मालाजी का वारिसान व उत्तराधिकारी

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

बताकर गलत रुप से फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 926 दर्ज किया गया है एवं नायब तहसीलदार, शिवगंज ने भी बिना किसी जांच के गलत वंशावली के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 926 दिनांक 26—5—2000 को स्वीकृत किया है। जबकि मालाजी के वारिसान में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 है जिससे उक्त सभी वारिसान का नाम जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के दर्ज किया जाना था। स्वर्गीय माला पुत्र भावाजी की वंशावली के अनुसार मालाजी की पुत्रीयां शांतिदेवी, मफी, मीरा, सूकी, सदणा है व पत्नी नेनू है। इनके अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान नही है। उसके बावजूद भी नायब तहसीलदार, शिवगंज ने गलत वंशावली के आधार पर बिना किसी वैध आधार के नामान्तकरण को स्वीकृत कर दिया है। यह कि उक्त आराजी अर्थात् मालाजी के नाम की भूमि मे उपरोक्त प्रत्येक वारिसान का 1/5, 1/5 हिस्सा निहित हैं एवम् अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 123 व 126 के नियमो की पालना किये बिना प्रश्नगत नामान्तरण को स्वीकार कर दिया गया है, जो गलत है। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 व अपीलार्थी, स्वर्गीय माला पुत्र भावाजी के वारिस है, लेकिन अपीलार्थी के जीवित होते हुये भी मालाजी की मृत्यु के बाद जो फौतेदगी नामान्तकरण भरा गया हैं उसमे गलत वंशावली दर्ज कर केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 व बेनामी पवनी नाम दर्ज किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम दर्ज नही किया गया है। जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण दायर व स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर भी नही दिया है तथा न ही उत्तराधिकारियों के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच की गई है, जो प्राकृतिक न्याय की खुली अवहेलना है। अपीलार्थी ने हल्का पटवारी से सम्पर्क अपने खातेदारी भूमि की नकल हेतु कहां तो ज्ञात हुआ की प्रत्यर्थी सख्या 2 से 5 व बेनामी नाम पवनी को मालाजी के वारिसान बताकर अर्थात् गलत वंशावली दर्ज कर गलत रूप से फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत करवाया हैं। अपीलार्थी को जब अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने व पवनी बेनामी नाम दर्ज होने की जानकारी हुई तो प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 को अपीलार्थी द्वारा अपना नाम दर्ज करवाने हेतू कहां गया लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर जानकारी होने पर नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। अतः धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम झाडोली वीर, पटवार हल्का झाडोली वीर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 926 दिनांक 22—5—2000 को निरस्त किया जावे एवं तहसीलदार, शिवगंज को मालाजी पुत्र भावाजी कलबी के सही व वास्तविक वारिसान अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवाकर स्वीकृत करने हेतु आदेशित की जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि श्री माला पुत्र भावा कलबी, निवासी— झाडोली वीर की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 926 दायर किया गया, जो नायब तहसीलदार, शिवगंज दिनांक 22—5—2000 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम झाडोली वीर, पटवार हल्का झाडोली वीर के खसरा संख्या 441 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा भूमि के खातेदार माला पुत्र भावा कलबी, निवासी— झाडोली वीर की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, झाडोली वीर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 व पवनी पुत्री माला के नाम से उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 526 दायर किया गया, जिसें नायब तहसीलदार, शिवगंज

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

द्वारा दिनांक 22—5—2000 को स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र, अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अंकित कथनों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावना पूर्ण प्रतीत होता है। अतः धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन करते हुए इस अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के खातेदार माला पुत्र भावा कलबी, निवासी— झाडोली वीर की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार श्री माला पुत्र भावा कलबी, निवासी— झाडोली वीर की उक्त कृषि भूमि के संबंध में पटवारी हल्का, झाडोली वीर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 व पवनी पुत्री माला के नाम से उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 526 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 22—5—2000 को स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "श्री माला पुत्र भावाजी की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर जरिये फौतेदगी नामान्तकरण में अपीलार्थी का नाम वारिसान के रूप से दर्ज नही किया तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 व बेनामी पवनी (जिस नाम से मालाजी की कोई सन्तान ही नही है) को मालाजी का वारिसान व उत्तराधिकारी बताकर गलत रुप से फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 926 दर्ज किया गया है एवं नायब तहसीलदार, शिवगंज ने भी बिना किसी जांच के गलत वंशावली के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 926 दिनांक 26—5—2000 को स्वीकृत किया है। जबकि मालाजी के वारिसान में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 है जिससे उक्त सभी वारिसान का नाम जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण के दर्ज किया जाना था।" प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब में भी अपील में अंकित कथनों को स्वीकार करते हुए यह कथन किया गया है कि "अपीलार्थी श्रीमति शांतिदेवी भी मृतक मालाजी की जायन्दा पुत्री है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 भी मृतक मालाजी की जायन्दा पुत्रीयां है तथा उक्त अपील में वर्णित बेनामी पवनी नाम से कोई भी पुत्री मृतक मालाजी के नही थी और ना ही है, अतः उक्त नामान्तकरण संख्या 926 दिनांक 22—05—2000 को गलत रूप से स्वीकृत किया गया है जिसे निरस्त किया जाता है तो प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 को कोई आपत्ति नही है।" इस प्रकार, अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के कथनों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी शांतिदेवी भी मृतक खातेदार माला पुत्र भावा कलबी की जायन्दा पुत्री है, जिसका नाम मृतक खातेदार माला पुत्र भावा कलबी की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार के दायर व स्वीकृत, नामान्तरकरण संख्या 926 दिनांक 22—5—2000 में दर्ज नही हुआ है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम झाडोली वीर, पटवार हल्का झाडोली वीर के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 526 निांक 22—5—2000 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार माला पुत्र भावा कलबी, निवासी— झाडोली वीर के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि अनुरूप नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते